(3)

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 878/24-03-2025 प्रश्नांश भाग "ग" की जानकारी परिशिष्ट "एक"

मण्डल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा.वि रीवा एवं आदर्श उ.मा वि.टी.टी नगर भोपाल में प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति में कार्यरत की जानकारी

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद नाम	विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	मण्डल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत दिनांक	प्रतिनियुक्ति समाप्ति दिनांक	रिमार्क
01	श्री महेश तिवारी प्राचार्य (प्र.नि.) आदर्श उ.मा.वि. रीवा	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक /1428 /2264489 / 2024 /20-1 भोपाल दिनांक 10/10/2024 के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल सचिव कार्यालयीन आदेश क्रमांक /3228-29 /प्रशा. /स्था. /आ.वि. /2024 भोपाल दिनांक 28/10/2024 द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति पर ली है	28/10/2024	27/10/2026	
02	श्रीमती रेखा शर्मा प्राचार्य (प्र.नि.) आदर्श उ.मा.वि. भोपाल	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल सचिव आदेश क्रमांक /प्रशा/स्था/आ.वि/1184/2019 भोपाल दिनांक 14/08/2019 द्वारा प्राचार्य आदर्श उ.मा.वि. का प्रभार सौंपा गया। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/ स्था/1/राज/सी /34/प्रति./2022/1274 भोपाल दिनांक 17/01/2022 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 29/07/2021 से 02 वर्ष की वृद्धि की गई। मण्डल के पत्र क्रमांक /2095/प्रशा/स्था/ आ.वि./2023 भोपाल दिनांक 08/08/2023 लोक शिक्षण संचालनालय को प्रति का प्रतिनियुक्ति अवधि में 3 वर्ष की वृद्धि की गई।	14/08/2019	28/07/2026	

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

सहायक सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

(4)

आ0प्र0 प्र0क्र0 878/ 24-03-2025 -
प्रश्नांश भाग "ग" की जानकारी

परिशिष्ट-दो

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/3-14/06/3/एक,

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :— बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

संदर्भ.— सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ ए 10-18/88/49/एक, दिनांक 2-12-88 ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-1994 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/एक, दिनांक 5 जून, 1995.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजायी आदेश जारी किये जाते हैं :—

(एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पेनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी मंगाना चाहिए,

(दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएँ,

(तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरांत चयनित लोक सेवक की सेवाएँ कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए,

(चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए, आदेश में यह स्पष्टतः अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें, पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाये,

(पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी.

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-94 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी. जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाये अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण तदनुसार सुनिश्चित किया जाये.

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाये.

4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्थापित संस्थाओं के लिए भी लागू होगी.

हस्ता./-
(अकीला हशमत)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अवर सचिव/अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल।
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।
6. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीगण/ मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता./-
(एस. सी. पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1)
मंत्रालय, भोपाल